ORIGINAL ARTICLE ISSN:- 2249-894X

Review Of Research

जैसा समाज वैसी पुलिस

सार : 191– मथुरा बलात्कार कांड,
1980– भागलपुर ऑखफोडवा कांड,
2002– गुजरात दंगों में संदिग्ध भूमिका,
2011– दिल्ली के रामलीला मैदान में मध्यरात्रि को 50 हजार से ज्यादा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठी–चार्ज,

कुमार आशीष

भा. पु. से. (2012 बैच) स्हायक पुलिस अधीक्षक, प
BegusaraBallia, Begusaraj, Bihar.

1.प्रस्तावना :

2013 पॉच वर्षीय गुडिया के सामूहिक बलात्कार मामले को रफा–दफा करने के लिए पुलिस द्वारा 2000 रूप्ये की रिश्वत की पेशकश और प्रदर्शनकारी छात्राओं पर दिल्ली पुलिस का बल–प्रयोग .....

सन 2013 बिहार के जमुई जिले में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मिर्च पाउडर और पेट्रोल डाल कर हुई प्रताडना के उपरान्त मृत्यु मुंबई, गुजरात ,दिल्ली और भारत के कई शहरों में हुए एवं नित्य हो रहे फर्जी एनकाउंटरों की लम्बी फेहरित....

और भी ऐसे अनगगिनत मामले पुलिस कि ज्यादती से जुडे हुए है। और भी ऐसी कोई हद्य विदारक घटना है तो जोर–शोर से समाज पुलिस महकमे को अपराधी को साबित करने में लग जाता है। परन्तु इस बीच हम यह भूल जाते है कि पुलिस भी चूँकि समाज से ही निकलती है इसीलिये यह अवश्वयंभावी है कि पुलिस का चरित्र भी वैसा ही होगा जैसा कि हमारे समाज का है।

चूँकि यह समाज एक आदर्श समाज नही है इसलिए पुलिस भी आदर्शवादी नही हो सकती। समाज की कुरीतियां यथा जातिवाद, संप्रदायवाद, पितृसत्तात्मक एवं सामंतवादी मानसिकता, भ्रष्टाचार इत्यादि सामाजिक बुराइयॉ अगर पुलिस में भी दृष्टिगोचर हो तो हमें कोई आश्चर्य नही होना चाहिए। वस्तुतः यह परस्पर सहजीविता के नियमों कि आवश्यकता को इंगित करता है जहॉ संवेदी पुलिस एक सशक्त समाज का होना अपरिहार्य है।

भारतीय पुलिस व्यवस्था सन् 1861 के सामंतवादी पुलिस संहिता से संचालित होती है जो आज भी करीब 150 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी प्रचलन में है। इस संहिता का निर्माण तात्कालिक जरूरतों के मुताबिक एक सुसुप्त मानसिकता वाले गुलाम देश को गुलाम बनाए रखे जाने के लिए हुगा था। अस्तु वर्तमाना परिस्थितियों में यह संहिता उत्तरदायित्व, समरूप एवम् पारदर्शिता के मानकों पर खरी नहीं उतरती।

पुनश्चः पुलिस और समाज का सम्बन्ध मैत्रीभाव, बंधुत्व एवम् आपसी सदभाव की एक कडी माना जाता है जो पुलिस और समाज को सामान्य उद्देश्यों जैसे शान्ति और कानून व्यवस्था,सामाजिक अधिकारों एवम् नागरिक स्वतंत्रताओं को चलायमान रखने के लिए एक सूत्र में बांधती है। अतःसामाजिक जीवन का प्रतिबिम्बन पुलिस व्यवस्था में स्पष्टतया परिलक्षित होता है। यह प्रतिबिम्बन विकसित समाजों तथा अल्पविकसित समाजों में देखा जा सकता है जहॉ पुलिस की कार्यप्रणाली सर्वधा भिन्न होती है। उदाहरण के लिए , ब्रिटिश , अमरीकी और फ्रेंच पुलिस मनोवैज्ञानिक दबाव तकनीक के द्वारा अपराधियों से अपराध कुबुल करवाते हैं जबकि एशियाई, मध्य–अफ्रीकी एवम् कैरेबियाई समाजों में मार–पीट(थर्ट डिग्री) कि सहायता आज भी ली जाती है। पश्चिमी समाजों में पुलिस अपने नागरिकों के साथ काफी सभ्य तरीके से पेश आती है जबकि हमारे यहॉ पुलिस में भर्ती होना ही गुंडागर्दी की शुरूआत मानी जाती है, सभ्य तरीका तो भूल ही जाईये. ऐसा इसलिए होता है की हमारे समाज में एक आम आदमी के जेहन में पुलिस की रौबदार छवि ही बसती है और उस दबंग व्यवहार की वजह से ही पुलिस अपना कार्य करने में सक्षम हो इसका प्रदर्शन हम सबने गाहे–बगाहे देश के विभिन्न शहरों में चौक–चौराहो पर देखा ही है.

भारत में वर्तमान समय में पुलिस पर भ्रष्टाचार एवम् सम्वेदनहीनता के महती आरोप लग रहे है तथा कई मामलों में ये आरोप साबित भी हो चुके है। परन्तु वैचारणीय प्रश्न यह है कि हम खुद एक समाज के रूप में कितने ईमानदार एवम् संवेदनशील हैघ जरा सोचिये ःजंतर–मंतर, रामलीला मैदान या इंडिया गेट की अनशन सभाओं में छुट्टी के दिनों में थोडा मूड फ्रेश करने के लिए भारी संख्या में हमलोग जाते है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जोर–शोर से नारे लगाते है, परन्तु ऑफिस की सरकारी वस्तुओं का निजी प्रयोग करनें में तानिक भी संकोच नहीं करते, सरकार को वैट टैक्स ना देना पडे इसके लिए दुकानदार से पक्का बिल नहीं मांगते, इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह के तीन–तेरह करते, ट्रेन के सफर में एक–एक सीट के लिए 500–1000 की रिश्वत टीटी को देने से नहीं हिचकते, मंदिर–मस्जिद के नाम पर एकत्रित चंद से अपना घर सजाने से नहीं चुकते , और स्वनिहित स्वार्थ के लिए किसी को भी जरिया बनाने से गुरेज नही करते– और इन सबके बाद खुद अमावस के चॉद के मानिंद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहनेवाले हम सामाजिक लोग, पुलिस से दूज के चॉद कि भांति निष्कलंक होने की अपेक्षा रखते है।

और आइए, अब बात करते हैं सम्वेदनशीलता की –– लाखों लोग दिल्ली गैंग–रेप के बाद धरने –प्रदर्शनों में शामिल हुए और जी भर के पुलिस के नाम का मर्सिया पढा गया , परंन्तु क्या ये किसी आम नागरिक का फर्ज नही था कि उस क्षत–विक्षत निर्भया एवम् उसके मृतप्राय साथी घंटे के दौरान इस देश का कोई भी ''संवेदनशील नागरिक '' उस व्यस्त दिल्ली–जयपूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से नही गुजरा था? कहॉ गए हमारे सामाजिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व ? याद रखिए , एक सभ्य समाज में पुलिस का व्यवहार अलग होता है और एक असभ्य समाज में एकदम अलग। आप जैसे समाज में रहते हैं , पुलिस भी उसी समाज का आइना होती है.

हालॉकि, बदलते हुए समाज का पुलिस कि कार्य प्रणाली पर गहरा प्रभाव पडा है जिसके बेहतर उदाहरणों में शीला बरसे बनाम भारत सरकार (1994) केस का उल्लेख किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप महिला सुरक्षा जॉच एवम् पूछताछ में किसी महिला पुलिस कि उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी। दूसरा मामला डी के बासु का था जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी गिरफ्तारी को अंजाम देने के लिए 11 दिशा–निर्देश जारी किए । ये परिवर्तन समाज के बदलते स्वरूप और जरूरतों का पुलिस के कार्यप्रणाली पर पडने वाले सकारात्मक प्रभाव का परिचायक है। बिहार में भी पुलिस महकमें द्वारा अभियुक्तों को किसी भी तरह की शारीरिक यंत्रणा देने पर सख्ती से पाबन्दी लगाई गयी है जिसका सुपरिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगा है

सम्प्रति, पुलिस को समाजोन्मुखी बनाने के महती प्रयास चल रहे है. वर्तमान समय कि जरूरतों के हिसाब से पुलिस सूचना प्रौधोगिकी , संगणक एवम् दूरसंचार के नवीनतम साधनों का समुचित प्रयोग कर रही है। समुदाय पुलिसिंग तथा समस्या –उन्मुखी पुलिसिंग समाज कि बढती आवश्वकताओं का ही फलित रूप है। सोशल मीडिया यथा फेसबुक, व्हाट्स एप्प एवं टिव्टर आदि पुलिस में समाज की बढती हिस्सेदारी का ही परिचायक है. लेखक द्वारा बिहार में मोतिहारी (ट्रेनिंग के दौरान) एवं दरभंगा जिले में फेसबुक पर जिला पुलिस का पेज खोला गया जिसमें समाज की भागीदारी का आह्वान किया गया था. बिहार में ये प्रयोग नवीनतम है और दोनों जिलों की जनता ने इनका तहेदिल से स्वागत किया. इस पेज के माध्यम से पुलिस द्वारा आम जनता के वेलफेयर से जुडे मामलों पर संज्ञान लिया जाता है

और त्वरित कारवाई की जाती है. इसमे ज्यादातर मामले किसी खास एरिया में अवैध शराबबंदी , ट्रैफिक समस्या, जमाखोरी –कालाबाजारी , छेडखानी , स्थानीय लफंगों के विरूध्द शिकायतें आदि होती है जिसमें कॉलन पब्लिक प्रभावित होती है. इस पेज के माध्यम से लोगों में ट्रेफिक सेंस विकसित करने में सहायता मिलेगी और साथ ही उनके की सहयोग से पुलिस समाज की कॉमन बुराईयों से लडने में सक्षम हो सकेगी क्योंकि बिना पब्लिक के सहयोग के समाज की पुलिसिंग अधूरी ही रहेगी. सोशल मीडिया के द्वारा पुलिस– प्रशासन का आम जनता के नाम आवश्वक सन्देश भी त्वरित गति से पहुँच सकेगा एवं उस सन्देश पर जन –मानस के विचार भी हमें अत्यंत अल्प समय में उपलब्ध हो सकेंगे. साथ ही ये व्यवस्था पुलिस महकमे को पारदर्शी बनाने में काफी उपयोगी सिध्द हो सकती है.

निष्कर्षत–

पुलिस को और भी ज्यादा पारदर्शी, उत्तरदायी एवम् मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए समाज को भी स्वतःस्फूर्त सुधार की प्रकिया से गुजरात होगा. जो–जो सुधार समाज पुलिस में देखना चाहता है, वो सारे सुधार समाज को खुद आत्मसात करने होंगे और तब पुलिस एवम् समाज का सामंजस्य प्रगति के नए आयाम खोलेगा जिसकी बानगी इन चंद पंक्तियों में इस प्रकार कि जा सकती है:

'' मर्यादा में रहोगे तो नदी कहाओगे,
निज नाम करोंगे दूसरों के काम आओगे
सीमा में बहती है नदी जब तक सभी गुणगान करते है,
सीमाएँ तोड देती है जब नदी, उसे बाढ कहते है.
अब निश्चय तुम्हारा है बनी नदी या बाढ बन जाओ
करो पर हित या त्रास बन जाओ।''